उत्तर प्रदेश शासन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1
संख्याः- 2527 /छिहत्तर-1-2021-12 सम/2021 टी.सी.
लखनऊः दिनांक 15 सितम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

नगर विकास अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1792-9-3-2021-05 सी/2021, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा विधायी अनुभाग की अधिसूचना संख्या -800/79-वि-1-21-1-क-29-21, दिनांक 24.08.2021 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्राविधानानुसार उ०प्र० जल निगम के उ०प्र० जल निगम (नगरीय) तथा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के रूप में विभाजन के उपरान्त कार्मिकों का उ०प्र० जल निगम (नगरीय) तथा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में आवंटन किया गया है।

2- उक्त के अन्तर्गत नगर विकास विभाग द्वारा उ०प्र० जल निगम (नगरीय) तथा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के लिए कार्मिकों के विभाजन की सूची संलग्न करते हुए यह उल्लेख किया गया है कि फील्ड स्तर के कर्मचारियों के संबंध में जल निगम के 1238 कार्मिकों को बाडीशापिंग के आधार पर नागर निकायों में समायोजित किया जाना है, जिस हेतु नगर विकास विभाग द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे।

3- उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 07 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न बैठक विषयक कार्यवृत्त संख्या-2459/छिहत्तर-1-2021-12 सम/2021, दिनांक 10 सितम्बर, 2021 में यह निर्णीत है कि –

(5) • उत्तर प्रदेश जल निगम में पूर्व से सृजित विभिन्न पदों के 50 प्रतिशत पद तथा सृजित पदों के सापेक्ष डिवीजन में कार्यरत कार्मिकों में से 50 प्रतिशत कार्मिकों को नवगठित उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) हेतु दिनांक 08-09-2021 तक आवंटित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय जोन एवं मण्डल स्तर पर जो कार्मिक तैनात हैं, उनका भी 50-50 प्रतिशत बटवारा दिनांक 08-09 2021 तक कर दिया जाए। उपरोक्त कार्मिकों के किए जा रहे सभी बटवारे अंतिम होंगे।

(6) - उत्तर प्रदेश जल निगम के फील्ड स्तर के कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णीत है कि जल निगम के 1200 कार्मिकों को बॉडीशापिंग के आधार पर नागर निकायों में समायोजित किया जाए। निर्देश दिये गये कि मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए उक्त निर्णय का अनुपालन इसी माह सुनिश्चित किया जाए। उक्त 1200 चिन्हित कार्मिक जब वापस उ०प्र० जल निगम में आएंगे तब उनकी देयताओं का विभाजन 1:1 के आधार पर उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में किया जाएगा। इन 1200 कार्मिकों को छोड़कर शेष 3700 कार्मिकों को 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) एवं 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में विभाजन की कार्यवाही दिनांक 15-09-2021 तक पूर्ण कर ली जाए।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

4- मुख्य सचिव महोदय द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के आलोक में नगर विकास विभाग द्वारा प्रत येक संवर्ग में कार्मिकों के बटवारे के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को त्वरित गति से क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से उ0प्र0 जल जल निगम में अधिसंख्य पदों पर कार्यरत फील्ड कार्मिकों को छोडते हुए सूची में उल्लिखित शेष कार्मिकों को, जैसा कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निर्णीत है, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) में एतद्द्वारा समाहित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

5- उक्त संदर्भित कार्यवृत्त दिनांक 10 सितम्बर, 2021 के बिन्दु संख्या – (8) के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही नगर विकास विभाग के स्तर से संबंधित है। अतएव नगर विकास विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही किए जाने पर अग्रेतर निर्णय लिया जाएगा।

Signed by अनुराग श्रीवास्तव
Date: 15-09-2021 18:25:47
Reason: Approved
(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्याः 2527(1)/छिहत्तर-1-2021, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. - निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. - स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. - कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. - अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. - अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. - अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. - प्रबंध निदेशक, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. - प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव

Scanned with CamScanner